न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

रसद अपील संख्याः 01/2018

दायर दिनांकः 21.03.2018

निर्णय दिनांक 03.06.2019

—:अनवान:—

श्रीमती लीलादेवी चौहान पत्नि गणपतसिंह चौहान आयु 52 वर्ष निवासी लसानी तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

अपीलांट

—:: बनाम ::—

जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द

रेस्पोण्डेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.02.2018 द्वारा पारित जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द

उपस्थितः—

1— श्री खुशकमल भाटी, अधिवक्ता अपीलांट

2— पेरोकार सरकार

अपीलांट ने जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2018 वास्ते अनुज्ञा पत्र जारी करने बाबत माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द की अपील संख्या 03/16 के निर्णय दिनांक 23.05.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15.03.2018 को पेश की गयी है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि आप न्यायालय मे दिनांक 25.10.2016 को अपीलांट श्रीमती पिंकी बनाम जिला रसद अधिकारी के अनवान से अपील पेश हुई थी जिसके मुकदमा नम्बर 03/2016 होकर फैसल दिनांक 23.05.2017 है उक्त अपील मे आप न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2017 को जो आदेश दिया गया था कि जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2016 को निरस्त किया जाता है एवं रसद अधिकारी, राजसमन्द को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः जॉच कर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जावें। विपक्षी कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 29.11.2017 को रिपोर्ट पेश की उसके साथ मौका पर्चा दिनांक 28.11.2017 मे कहा कि पिंकी लसानी गांव मे ही रहती है। बयान सरपंच (लीला) से स्पष्ट है कि पिंकी अपने पति के साथ सूरत मे रहती है दोनो ही बयान मे विरोधाभास होने से दिनांक 25.01.2018 को पुनः जांच संबंधी आदेश जिला रसद अधिकारी राजसमन्द द्वारा उपखण्ड अधिकारी, देवगढ को पत्र भेजकर सूचना चाही थी जो रिपोर्ट दिनांक 15.02.2018 को जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द को प्रेषित की गई रिपोर्ट के आधार पर पिंकी खेत पर थी व अन्य व्यक्तियों के बयान हुऐ जो पिंकी के रिश्तेदार है। आज दिनांक तक सही रिपोर्ट पेश नहीं की गयी है। प्रार्थी गांव के मौतबीरान व्यक्तियों से सम्पर्क किया जिससे स्पष्ट

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

है कि पिंकी पत्नि दीपक कुमार खटीक लसानी गांव मे निवास नहीं करती है एवं सूरत मे अपने पति के साथ रहती है जिस संबंध में सभी ने 50 रूपये के स्टाम्प पर अपना शपथ पत्र पेश किया है। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द (जांच अधिकारी) द्वारा दिनांक 26.02.2018 को जांच रिपोर्ट के आधार पर श्रीमती पिंकी का ग्राम लसानी मे निवास करना पाया जाना स्पष्ट किया है एवं पिंकी को लसानी की नवसृजित उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञा पत्र जारी किये जानो की अनुशंषा की जानी है उक्त निर्णय दिनांक 26.02.2018 को लिखा गया जो गलत है। अतः जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द द्वारा जो जांच रिपोर्ट का आदेश दिनांक 26.02.2018 को दिया गया एवं पिंकी खटीक को उचित मूल्य दूकान के लिये पात्र माना उसे निरस्त किया जावें व सही व्यक्ति को दुकान का आवंटन किया जावे।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेंट को अपना पक्ष रखने हेतु जरिये सम्मन् सूचित किया गया। जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द से पत्रावली तलब की गयी।

अधिवक्ता अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की मूल अपील पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए मुख्य रुप से यह बताया कि श्रीमति पिंकी पत्नी दीपक कुमार खटीक निवासी लसानी गांव लसानी में निवास नहीं करती है एवं सूरत मे अपने पति के साथ रहती है जिस संबंध में गांव के सभी ने 50 रूपये के स्टाम्प पर अपना शपथ पत्र पेश किया है। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द (जांच अधिकारी) द्वारा दिनांक 26.02.2018 को जांच रिपोर्ट के आधार पर श्रीमती पिंकी का ग्राम लसानी मे निवास करना पाया जाना स्पष्ट किया है एवं पिंकी को लसानी की नवसृजित उचित मूल्य दुकान का अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की अनुशंषा की जाती है, इस आशय का दिनांक 26.02.2018 को जिला रसद अधिकारी,राजसमंद द्वारा बिना सही तथ्यों की जाचं किये पारित किया गया निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं। वास्तविक स्थिति यह हैं कि श्रीमति पिंकी खटीक गांव लसानी में नहीं रहती हैं बल्कि वह अपने पति के साथ सूरत में रहती हैं। अतः उक्त निर्णय दिनांकः 26.02.2018 को निरस्त किया जावें एवं पिंकी खटीक को उचित मूल्य दूकान के लिये पात्र माना गया उसे भी निरस्त किया जावें व सही व्यक्ति को दुकान का आवंटन किया जावे।

पेरोकार सरकार के द्वारा बहस के दौरान यह बताया कि आप न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 23.05.2017 के द्वारा प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ जिसमें यह निर्देश दिये गये कि अपीलार्थीया को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान कर एवं प्रकरण में पुनः जांच की जाकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किये जावें। इस मामले में पुनः जांच की गयी और उप तहसीलदार,देवगढ़ से प्राप्त जांच रिपोर्ट में श्रीमति पिंकी खटीक निवासी लसानी को गांव लसानी में ही निवास करना बताया गया जबकि ग्राम पंचायत लसानी ने इसका सूरत में अपने पति के साथ निवासरत होना बताया गया। इस विरोधाभाषी स्थिति की स्पष्टता हेतु उपखण्ड अधिकारी जी देवगढ़ से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिसमें श्रीमति पिंकी खटीक निवासी लसानी को गांव लसानी में निवास किये जाने का तथ्य रिपोर्ट में अंकित किया गया। उक्त मामले में श्रीमति पिंकी खटीक के गांव लसानी में निवास नहीं करने को ही अपीलार्थी द्वारा मुख्य आधार बनाकर यह अपील पेश की गयी हैं। अपीलार्थी के द्वारा कोई ठोस तथ्य व प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने आप द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 23.05.2017 जिसके द्वारा प्रकरण रिमाण्ड कर दिये गये निर्देशों की अनुपालना में विधिसम्मत कार्यवाही की जाकर दिनांकः 26.02.2018 को जो निर्णय पारित किया

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

गया हैं वह बाद जांच नियमानुसार पारित किया हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कराना फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया जाकर जिला रसद अधिकारी,राजसमंद की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी,राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 26.02.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में यह अपील पेश की गयी जिसमें मुख्य रुप से यह आधार लिया गया कि गांव लसानी में नवसृजित उचित मूल्य की दुकान श्रीमति पिंकी खटीक निवासी लसानी को आवंटित किये जाने हेतु अनुशंषा की गयी हैं जबकि पिंकी खटीक गांव लसानी में निवास नहीं करती हैं अपितु वह अपने पति के साथ सूरत में रहती हैं। अतः उक्त आदेश को निरस्त किया जावें तथा पिंकी खटीक के पक्ष में की गयी अनुशंषा को निरस्त कर सही व्यक्ति को उक्त दुकान आवंटित की जावें।

अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी,राजसमंद की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट हैं कि पिंकी खटीक निवासी लसानी के लसानी गांव में निवासरत नहीं होने संबंधी विवाद पर सही स्थिति स्पष्ट करने हेतु उपखण्ड अधिकारी,देवगढ़ से जांच कर रिपोर्ट तलब की गयी। उपखण्ड अधिकारी,देवगढ़ द्वारा की रिपोर्ट अनुसार पिंकी खटीक का गांव लसानी में ही रहना बताया गया। इससे प्रथम दृष्टा यह प्रकट हैं कि पिंकी खटीक का गांव लसानी में निवासरत होने की पुष्टि होती हैं। अपीलार्थी की ओर से ऐसे कोई ठोस कथन व प्रमाण भी पेश नहीं किये गये जिससे अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य हों। अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होकर खारिज किये जाने योग्य होना पाया जाता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती हैं तथा जिला रसद अधिकारी,राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 26.02.2018 को यथावत रखा जाता हैं।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 03.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)